क्रम–सं.–53

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस.एस.पी./एल.–
डब्लू./एन.पी.–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1. खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 मार्च 2011
फाल्गुन, 27, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 346/79–वि–1–11–1 (क)/14–2011

लखनऊ, 18 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय के उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011 पर दिनांक 16 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2011 केरूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2011)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखत अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्यय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्ति नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1 (1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम 2011 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2 (1) इस नियमावली में, जब तक कि विषय अथवा सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो–

(क) ''बोर्ड'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड से है।

(ख) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य बोर्ड का अध्यक्ष और उसके विभागाध्यक्ष से है;

(ग) ''सदस्य'' का तात्पर्य पदेन सदस्य से भिन्न बोर्ड के किसी सदस्य से है;

(घ) ''नगर पालिका'' का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के अधीन गठित किसी नगर निगम अथवा नगर पालिका परिषद अथवा किसी नगर पंचायत से है;

(ड.) ''नगर पालिका अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है;

(च) ''सम्पत्ति कर'' का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम के अधीन भूमि और भवनों पर उद्ग्रहीत सम्पत्ति कर से है;

(छ) ''विनियम'' का तात्पर्य धारा–37 के अधीन बनायें गये विनियमों से है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि नगर पालिका अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना

3 धारा–4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना के प्रभावी होने के दिनांक से, नगर पालिका अधिनियमों के उपबन्ध अथवा इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी मामले से सम्बन्धित कोई अन्य विधि इस अधिनियम के उपबन्धों की सीमा तक उपांतरित हुए समझे जायेंगे।

अध्याय–दो

बोर्ड की स्थापना

बोर्ड की स्थापना

4 (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के नाम से एक बोर्ड की स्थापना करेगी।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा।

(3) बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

बोर्ड की संरचना

5 (1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे और निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

(2) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 25 वर्षों से अन्यून का प्रशासनिक अनुभव हो और राज्य सरकार के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव अथवा उसके समकक्ष शहरी प्रशासन से सम्बन्धित विभागों का अनुभव रखने वाले किसी अन्य पद को अवश्य धारित कर चुका हो।

(3) सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास नगर पालिका प्रशासन वित्त और लेखा, शहरी सम्पत्तियों का मूल्यांकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षो का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव का अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारित किया हो।

(4) बोर्ड ऐसे कर्तव्यों के प्रयोग और निर्वहन के लिए अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन ऐसी रीति से जैसा कि विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, एक सचिव की नियुक्ति करेगा।

(5) अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेंगे और वेतन तथा भत्तों सहित उनकी सेवा की निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाए :

परन्तु यह कि पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अध्यक्ष या कोई सदस्य पद धारित नहीं करेंगे।

(6) नियुक्ति के पश्चात् अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

(7) बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा ।

(8) अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य कार्यकारी. अधिकारी होगा।

(9) जहाँ अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, पद त्याग अथवा किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है अथवा जहाँ अध्यक्ष के पद की रिक्ति होती है, वहां इस हेतु अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य और ऐसे नाम निर्देशन की अनुपस्थिति में या जहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से चुना गया कोई सदस्य, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(10) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह हो जायेगा यदि वह/उसने :–

(क) दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया– गया हो; या

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया है; या

(ग) नैतिक अधमता से युक्त किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध और कारावास के लिए दण्डित किया गया हो या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जो अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में उसके कृत्यों को प्रभावित करने वाला हो; या

(ङ) अपनी स्थिति का इस रूप में दुरुपयोग किया हो जिससे कि लोकहित में उसके पद पर बने रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

(च) संसद या किसी राज्य विधान सभा या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी है; या

(छ) किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य है या रहा है अथवा उसमें कोई पद धारित किया है अथवा करता है।

(11)राज्यः –सरकार द्वारा अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य केवल अपने पद से सिद्ध कदाचार के आधार पर या उपधारा (10) के खण्ड (ख) खण्ड (घ) अथवा खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष नियुक्त अधिकारियों में से तीन जाँच अधिकारियों के पैनल द्वारा राज्य सरकार द्वारा उनको किये गये संदर्भ पर की गयी जाँच और राज्य विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से सेवा से हटाने के लिए सूचित किया गया हो कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किन्हीं आधारों पर सेवा से हटा दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

6 (1) मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी व्यक्ति को बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त करेंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति पद धारण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, प्रतिज्ञान की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्तलिखित में अपना पद त्याग सकता है।

बोर्ड के कर्मचारी वृन्द

7 (1) बोर्ड राज्य सरकार के अनुमोदन से, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऐसे पद सृजित करेगा और ऐसे पदों पर ऐसी रीति से नियुक्तियां करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारीवृन्द का वेतन और भत्तों सहित सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विनियमावली में निर्धारित की जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ बोर्ड किसी नगर पालिका के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकता है ।

(4) उपधारा (1) में संदर्भित कर्मचारीवृन्द अध्यक्ष के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण में होंगे जो उनका नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

संगठन

8 (1) बोर्ड तीन या चार शाखाओं यथा, प्रशासनिक शाखा, मूल्यांकन शाखा, और अनुसंधान तथा विश्लेषण क्रिया–कलाप शाखा और ऐसी अन्य' शाखाओं में जो आवश्यक हो संगठित किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड राज्य में समुचित कर्मचारिवृन्द युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने हेतु बोर्ड समय–समय पर यथा अपेक्षित अपनी शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर सकता है।

विधिमान्यकरण

9 इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बोर्ड के गठन में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने अंथवा दोष के आधार मात्र पर ही बोर्ड की कोई कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी अथवा अन्यथा प्रश्नगत नहीं की जायेगी।

अध्याय–तीन

बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और प्रक्रिया

बोर्ड के कृत्य

10 बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) विभिन्न नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करना और राजस्व के भिन्न–भिन्न संसाधनों की कार्य क्षमता का निर्धारण करना जिससे कि इसमें अभिवृद्धि की जा सके और ऐसे नये साधनों को भी सृजित किया जा सके।

(ख) राज्य में नगर पालिकाओं की सभी सम्पत्तियों को प्रगणित करना या प्रगणित कराना और एक डाटा बेस तैयार करना।

(ग) सम्पत्ति और जल कर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना और सम्पत्तियों. के मूल्यांकन तथा नगर पालिकाओं की गैर कर मदों और कर की दरों हेतु उपयुक्त आधार सुझाना;

(घ) नगर पालिकाओं में सम्पत्तियों के मूल्यांकन उनके सत्यापन के लिए निरीक्षण की पारदर्शी प्रक्रिया को अभिकल्पित करना तथा सूत्रपात करना;

(ङ) केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय निकायों और छूट प्राप्त सम्पत्तियों सहित राज्य की नगर पालिकाओं में समस्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना या कराना;

(च) आवर्तिक पुनरीक्षण के लिए तौर तरीके संस्तुत करना;

(छ) सम्पत्ति कर विवादों को न्याय निर्णीत करना;

(ज) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तुलना के लिए मूल्यांकनों का सुलभ प्रकटीकरण करना;

(झ) राज्य सरकार के सरकारी गजट में वार्षिक कार्य योजना प्रकाशित करना;

(ञ) नगर पालिकाओं के लिए सम्पत्तियों के मूल्यांकन और नगर पालिका राजस्व की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सलाह देना जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यम से नगर पालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय।

(ट) भूमि और भवनों के मूल्यांकन में विशेषज्ञता के विकास सहित प्रयोगकर्ता प्रभारों संसाधन पैदा करने और उसके मूल्यांकन के क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों को निष्पादित करना जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यमों से नगर पालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय।

बोर्ड की कार्यवाहियां

11 राज्य के भीतर बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे और विनियमावली के अनुरूप इस निमित्त बनायी गयी अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

नगर पालिका का उत्तरदायित्व

12 (1) जब बोर्ड से कोई सूचना, विवरणी, विवरण, अभिलेख, दस्तावेज या रजिस्टर या कोई अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाय, तो नगर पालिका उसे इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपलब्ध करायेगा।

(2) जब बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाय तो इसके कृत्यों के निष्पादन के लिए कोई नगर पालिका बोर्ड का पूर्णरूपेण सहयोग और सहायता करेगी।

(3) जहाँ कोई नगर पालिका उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी निदेश का

अनुपालन करने में किसी भी कारण से असफल रहती है वहाँ बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा उस नगर पालिका को न्यागत किये जाने वाले वित्तीय अन्तरणों के एक भाग को जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत से अधिक न हो, दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए रोकने के लिए उस नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। यदि नगर पालिका तब भी इस सम्बन्ध में संतोषजनक आश्वासन देने, या उसे उपलब्ध कराने में असफल रहती है, तो बोर्ड राज्य सरकार को ऐसी रोक की संस्तुति कर सकता है, जिस पर राज्य सरकार उक्त अवधि के लिए ऐसे वित्तीय अन्तरणों को रोक लेगी :

परन्तु जहां नगर पालिका बाद में ऐसे निदेश का अनुपालन करती है, वहां राज्य सरकार ऐसे अनुपालन से संतुष्ट हो जाने पर इस प्रकार रोके गये वित्तीय अन्तरणों को अवमुक्त कर देगी।

विवरण दाखिल करने और देनदारी को प्रकट करने का दायित्व

13 (1) किसी भूमि अथवा भवन का प्रत्येक स्वामी अथवा अधिभोगी बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे विवरणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जैसा कि विहित किया जाय, विवरण दाखिल करेगा ।

(2) बोर्ड, सामान्य या विनिर्दिष्ट संसूचना द्वारा किसी नगर पालिका के निवासी से निम्नलिखित को सुनिश्चित करने हेतु ऐसी सूचना और विवरण जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षा कर सकता है:–

(क) क्या ऐसा निवासी इस अधिनियम या किसी नगर पालिका अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अधिरोपित कर या किसी प्रभार या किसी शुल्क का भुगतान करने का दायी है;

(ख) किस धनराशि पर उसका मूल्यांकन किया जाय;

(ग) उसके द्वारा अधिभुक्त भवन या भूमि का वार्षिक मूल्य और स्वामी का नाम और पता :

(घ) कोई अन्य सूचना जो उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने या कर, प्रभार या शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए आवश्यक हो।

अपराध एवं शास्तियाँ

14 ऐसा कोई व्यक्ति जो –

(एक) यथा अपेक्षित विवरण दाखिल करने में विफल रहता है; या

(दो) मांगी गयी सूचना और विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो वह ऐसे किसी अपराध का दोषी होगा और ऐसे जुर्माने के साथ दण्डित किया जायेगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है और जब अपराध निरन्तर जारी हो ऐसे जुर्माने के साथ दण्डित किया जायेगा जो प्रतिदिन पाँच सौ रुपये तक हो सकता है।

अपराधों का प्रशमन

15 (1) बोर्ड ऐसे व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध किये जाने की युक्तियुक्तपूर्वक आशंका हों, प्रशमन शुल्क के रूप में बीस हजार रुपये से अनधिक की धनराशि स्वीकार कर सकता है और अपराध को प्रशमित कर सकता है;

(2) 'किसी अपराध के प्रशमन पर ऐसे अपराध के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई

कार्यवाही नहीं की जायेगी या निरन्तर जारी नहीं रखी जायेगी और यदि उसके विरुद्ध उस अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही पहले ही निषिद्ध कर दी गयी हो तो प्रशमन स्वरूप उसे दोषमुक्त कर दिया जायेगा।

अपराधों का संज्ञान

16 कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित शिकायत के सिवाय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

मूल्यांकन का अवधारण और उसकी अवधि

17 (1) राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा उस नगर पालिका को विनिर्दिष्ट करेगी जहाँ यथास्थिति नगर पालिका अधिनियमों अथवा ऐसी नगर पालिका में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों, जहाँ तक वे वार्षिक मूल्यांकन के अवधारण से सम्बन्धित हों, के अनुसार भूमि और भवनों का सामान्य मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जायेगा :

परन्तु यह कि बोर्ड ऐसी शर्तों, जैसा कि विहित किया जाय, के अध्यधीन अपने अधीक्षण, निदेश और नियंत्रणाधीन ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर जैसा कि वह अवधारित करे, यथापूर्वोक्त रूप में नगर पालिका में भूमि और भवनों का सामान्य मूल्यांकन कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मूल्यांकन को बोर्ड द्वारा किया गया समझा जायेगा।

(2) बोर्ड द्वारा किया गया मूल्यांकन ऐसे दिनांक से प्रभावी हो जायेगा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे और वह ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा तथा इसके पश्चात् उसे पाँच वर्षों की क्रमिक अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षित किया जायेगाः

परन्तु यह कि किसी नगर पालिका में भूमि या भवन का मूल्यांकन नगर पालिका अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अवधि के दौरान किसी नये भवन का परिनिर्माण किया जाता है या नगर पालिका के किसी क्षेत्र में किसी विद्यमान भवन का पुनर्निमाण किया जाता है या इसका मौलिक रूप से बदलाव या उसमें सुधार किया जाता है तो ऐसे परिसरों के मूल्यांकन का अवधारण उसी मानदण्ड के अध्यधीन किया जायेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा ऐसे परिसरों के निमित्त नियत किया गया है और इसके मूल्यांकन की प्रकिया वही होगी जैसा कि स्वामी या अधिभोगी द्वारा विशिष्टियों का पूर्ववर्ती अनिवार्य विवरण प्रस्तुत करने पर तात्कालिक मूल्यांकन का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाय ।

(4) नगर पालिका ऐसे समय, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर बोर्ड को अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत परिनिर्मित समस्त नये भवनों की सूची और निर्मित या मौलिक रूप से परिवर्तित या सुधार किये गये समस्त विद्यमान भवनों की भी सूची प्रेषित करेगा।

(5) सम्पत्तियों का नामान्तरण नगर पालिका द्वारा नगर पालिका अधिनियमों या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा किन्तु सम्बन्धित अभिलेख सहित नामान्तरण की सूचना, बोर्ड को नामान्तरण करने वाले अधिकारी द्वारा नामान्तरण के सात दिन के अन्तर्गत दी जाएगी।

प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का प्रकाशन

18 (1) जब किसी नगर पालिका की भूमि और भवनों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा कर लिया जाय

तो वह ऐसी मूल्यांकन सूची तैयार करायेगा और सम्पत्ति कर एवं अन्य करों की धनराशि सूची में दर्ज करायेगा।

(2) बोर्ड उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची को प्रकाशित करेगा और ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के प्रति आपत्ति हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया जा सके।

(3) आपत्तियाँ ऐसी रीति से दाखिल की जा सकती है जैसा कि विहित किया जाय।

मूल्याकन पर आपत्तियों की सुनवाई

19 धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दिनांक की समाप्ति के पश्चात् और तत्पश्चात् ऐसी अवधि, जैसा कि विहित किया जाय के भीतर प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में किसी प्रकार की आपत्ति का अवधारण, आवेदक को ऐसे व्यक्तियों, जैसा कि इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् किया जायेगा।

अन्तिम मूल्यांकन सूची का प्रकाशन

20 जब धारा 19 के अधीन आपत्तियों यदि कोई हो का निस्तारण कर लिया जाय तो बोर्ड एक अन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार करेगा और ऐसे स्थान / स्थानों जहाँ पर ऐसी सूची का निरीक्षण किया जाय के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना देगा और अन्तिम मूल्याँकन सूची में उस पर यथाअभिलिखित सम्पत्ति कर की धनराशि का मूल्यांकन अन्तिम होगा और किसी आपत्ति की पुनः सुनवाई नहीं होगी।

मूल्यांकन का पुनरीक्षण

21 धारा 20 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, किसी स्वामी या अधिभोगी या नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी प्रार्थना पत्र के आधार पर या स्वप्रेरणा से और तदनिमित्त कारण अभिलिखित किये जाने के पश्चात् पूर्व में किये गये किसी मूल्यांकन को पुनरीक्षित कर सकता है।

बोर्ड की शक्तियाँ

22 बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान ऐसे किसी दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद का विचारण करती हो :–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन भेजना और उसको उपस्थिति के लिए विवश करना और उसका शपथपूर्वक परीक्षण करना;

(ख) किसी दरतावेज की खोज करने और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) परिसर का निरीक्षण करने तथा साक्ष्य और दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करना;

(च) ऐसे अन्य मामले, जैसे कि विहित किये जाय;

निदेश जारी करने की शक्ति

23 राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम से असंगत न हो।

भूमि या भवन में प्रवेश और उसके निरीक्षण की शक्ति

24 बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी परिसर में इस रीति से प्रवेश कर सकता है या उसमें दाखिल हो सकता है जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विहित किया जाय।

अधिकारिता का वर्जन

25 इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्यवाही अपील किये जाने योग्य नहीं होगी और किसी दीवानी न्यायालय के पास ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी

जिसके लिये बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिश्चय करने के लिए अधिकार प्राप्त हो।

अध्याय–चार

लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को अनुदान

26 (1) राज्य सरकार इस निमित्त विधि के माध्यम से राज्य विधान मण्डल द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु उचित समझे।

(2) बोर्ड ऐसी धनराशि को व्यय कर सकता है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिये उचित समझे, और ऐसी धनराशि को उपधारा – (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जायेगा और वह बोर्ड के व्यय के निमित्त नगर पालिकाओं और अन्य से शुल्क भी प्रभारित कर सकता है।

लेखा और लेखा परीक्षा

27 (1) बोर्ड समुचित लेखा और सुसंगत अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगा और एक वार्षिक लेखा विवरण यथाविहित रूप में तैयार करायेगा।

(2) धारा 26 के अधीन अनुदानों से भिन्न स्रोतों से पुनरीक्षण का विनियमन इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा किया जायेगा।

(3) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार उत्तर प्रदेश अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उपगत किसी व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा महालेखाकार को किया जायेगा।

(4) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड के वार्षिक लेखा विवरण की प्रतियों को राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड की वार्षिक लेखा विवरण की प्रति को राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

28 (1) बोर्ड वर्ष के दौरान अपने क्रिया–कलापों की वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय तैयार करेगा और उसकी प्रतियों को राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(2) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

बोर्ड को देय धनराशि की वसूली

29 (1) यदि धारा 26 की उपधारा (2)के अधीन किसी नगर पालिका से बोर्ड को देय धनराशि का भुगतान विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत नहीं किया जाता है तो बोर्ड उक्त मामले को राज्य सरकार को संदर्भित कर सकता है और राज्य सरकार बोर्ड को उक्त धनराशि का भुगतान कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को संदेय किन्हीं वित्तीय अन्तरणों से उक्त धनराशि की कटौती करने के पश्चात् भुगतान कर सकती है।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना बोर्ड को संदेय किसी धनराशि की वसूली बोर्ड के सचिव के प्रमाण–पत्र के आधार पर भूराजस्व के रूप में की जा सकती है।

30 बोर्ड द्वारा बैठक हेतु उपगत व्यय, अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और बोर्ड के अधीन या उसके लिये कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक व्यय सहित वेतन और भत्तों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में से किया जायेगा। आकस्मिक व्यय सहित वेतन और भत्तों के आधार पर उपगत व्यय

अध्याय–पाँच

प्रकीर्ण

31 बोर्ड अपने संकल्प द्वारा वित्तीय शक्ति साहित अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन धारा–7, 8 और 37 के शक्तियों के सिवाय, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव या बोर्ड के किसी अधिकारी को कर सकता है। बोर्ड द्वारा शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन

32 बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक माने जायेंगे। अध्यक्ष, सदस्य अधिकारी और कर्मचारी लोकसेवक होंगे

33 इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों या आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी। सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के प्रति सुरक्षा

34 बोर्ड ऐसी अर्हता और प्रभारों सहित निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, के अध्यधीन किसी व्यक्ति को मूल्यांकनकर्ता या सर्वेक्षक के रूप में पंजीकृत कर सकता है । मूल्यांकनकर्ताओं और सर्वेक्षकों का पंजीकरण

35 बोर्ड के लिये जारी किये जाने या उसके तामील किये जाने के लिये अपेक्षित या आशयित समस्त नोटिसों और प्रक्रियाओं को बोर्ड के सचिव को तामील कराया जायेगा। नोटिस इत्यादि का तामील किया जाना

36 (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार ऐसे किसी मामले, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो अपेक्षित या विहित हों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियमों को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

37 (1) बोर्ड, राज्य रारकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धो के अनुरूप इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बना सकता है। विनियम बनाने की शक्ति

(2) राज्य सरकार ऐसा अनुमोदन देते समय उनमें ऐसा परिवर्द्धन, परिवर्तन और उपान्तरण कर सकती है जैसा कि यह उचित समझेः

परन्तु यह कि ऐसा परिवर्द्धन, परिवर्तन या उपान्तरण करने के पूर्व राज्य सरकार बोर्ड को दो माह से अनधिक की ऐसी अवधि, जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय के भीतर उस पर विचार करने के लिए अवसर प्रदान करेगी।

(3) बोर्ड द्वारा बनाये गये और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये समस्त विनियमों का प्रकाशन गजट में किया जायेगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

38 (1) यदि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमन के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उतपन्न होती है तो राज्य सरकार जैसी परिस्थिति हो, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसी अवधि के दौरान जो इस आदेश के दिनांक के बाद बारह मास से अधिक न हो, ऐस अनुकूलनों चाहे रूपान्तर व परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, के अधीन रहते हुये जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, प्रभावी रहेगाः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से –दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं. किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी अदेश को किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि ऐसी कोई कठिनाई जैसा कि उस उपधारा में निर्दिष्ट हो, विद्यमान नहीं थी अथवा उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य और कारण

भारत के 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका संसाधन विकास बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष, चार अन्य सदस्य और एक पदेन सदस्य होंगे, की स्थापना और उसके निगमन की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय। बोर्ड के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विभिन्न नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करना और राजस्व के विभिन्न स्रोतों की दक्षता का मूल्यांकन करना जिससे कि इसमें वृद्धि की जा सके और ऐसे नए स्रोतों का भी सृजन किया जा सके;

(ख) राज्य में नगर पालिकाओं की सभी सम्पत्तियों की गणना करना या गणना कराना और एक डाटाबेस विकसित करना;

(ग) सम्पत्ति और जलकर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना और नगर पालिकाओं की सम्पत्तियों का मूल्यांकन तथा कर की दरों और करेतर मदों के लिए उपयुक्त आधार सुझाना;

(घ) सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया को अभिकल्पित करना और सूत्रपात करना;

(ङ) सम्पत्ति कर विवादों का न्याय–निर्णयन करना;

(च) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तुलना करने के लिए मूल्यांकनों के प्रकटीकरण को सुगम बनाना ।

तदनुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
के० के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 346(2)/LXX1X V-1-11-1(ka)14-2011

Dated Lucknow, March 18, 2011

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the (Uttar Pradesh Nagar Palika Vittiya Sansadhan Vikas Board Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2011) as passed by Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 2011:–

THE UTTAR PRADESH BOARD FOR DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FINANCIAL RESOURCES ACT, 2011

(U.P Act no. 11 of 2011)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the establishment of the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources and the matters connected herewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

Preliminary

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions

2. (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,–

(a) "Board" means the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Board and the Head of the Department thereof;

(c) "Member" means a member of the Board other than *ex-officio* member;

(d) "Municipality" means a Municipal Corporation or Municipal Council or a Nagar Panchayat, constituted under clause (1) of Article 243–Q. of the Constitution of India;

(e) "Municipal Act" means the Uttar Pradesh Municipal Act, 1959, and the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916;

(f) "Property tax" means the property tax on lands and buildings levied under the Municipal Act;

(g) "Regulation" means regulations made under section 37.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Municipal Acts.

3. With effect from the date of notification referred to in sub-section (1) of section 4, the provisions of the Municipal Acts, or any other law relating to any of the matters provided for in this Act shall be deemed to have been modified to the extent of the provisions of this Act. Act to override other laws

CHAPTER-II

Establishment of The Board

4. (1) The State Government shall, by notification, establish a Board to be called the Uttar Pradesh Board for the Development of Municipal Financial Resources. Establishment of the Board

(2) The Board shall be a body corporate.

(3) The head office of the Board shall be at Lucknow.

5. (1) The Board shall consist of a Chairperson and 4 other Members and the Director Local Bodies Uttar Pradesh shall be *ex-officio* member of the Board. Composition of the Board

(2) The Chairperson shall be a person with administrative experience of not less than 25 years and must have held the post of Chief Secretary of the State Government or the Secretary to the Government of India or any other post equivalent thereto having experience of departments related to urban administration.

(3) The Members shall be the persons having special knowledge and experience in the fields of municipal administration, finance and accounts, valuation of urban properties, State Laws including municipal laws or civil engineering or as the State Government may determine, and must have at least 25 years of experience in relevant field and held the post of at least the Secretary to the State Government or equivalent thereto.

(4) The Board shall appoint a Secretary to exercise and perform such duties, under the control of the Chairperson, in such manner as may be specified by regulations.

(5) The Chairperson and the Members of the Board shall hold office for a period of five years from the date he enters upon his office and the terms and conditions of their service, including salaries and allowances, shall be such as may be prescribed :

Provided that the Chairperson or a Member shall not hold office after he has attained the age of sixty five years.

(6) The salary, allowances and other conditions of services of Chairperson and Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.

(7) The Chairperson or any Member of the Board shall not hold any other office during the tenure thereof as such.

(8) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Board.

(9) Where the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness, death, resignation or any other cause or where any

vacancy occurs in the office of the Chairperson, a Member nominated by the Chairperson in this behalf and, in the absence of such nomination or where there is no Chairperson, any Member chosen by Members present from amongst themselves, shall exercise the powers and discharge the duties of the Chairperson.

(10)A person shall be disqualified for appointment as the Chairperson or a Member, if he:-

(a) has been adjudged as insolvent, or

(b) has become physically or mentally incapable of acting, or

(c) has been convicted and sentenced to imprisonment for any offence involving moral turpitude, or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect his functions as the Chairperson or a Member, or

(e) has so abused his position as to render his continuance in the office prejudicial to the public interest, or

(f) is a Member of Parliament, or an State Legislature or any local authority or is a candidate for election thereto, or

(g) is or has been an active Member of a political party or has held or holds a post therein.

(11)The Chairperson or a Member shall only be removed from his office by the State Government on the grounds of proved misbehavior or on the grounds specified in clause (b), clause (d) or clause (e) of sub-section (10) after a panel of three enquiry officers appointed, from amongst officers equivalent to Chief Secretary to the State Government, for this purpose, on a reference made to them by the State Government, has, on enquiry, held by the panel and in consultation with the leader of opposition of the State Legislative Assembly, reported that the Chairperson or the Member ought to, on any such grounds be removed.

Appointment of Chairperson and Members

6 (1) The Governor shall, appoint a person; on the advice of the Chief Minister, as the Chairperson and the Members of the Board.

(2) The person appointed under sub-section (1) shall, before entering upon the office, make and subscribe before the Governor or any person nominated by him an oath of affirmation in such form as may be prescribed.

(3) The person appointed under sub-section (1) may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office.

(4) The person appointed under sub-section (1) may be removed from office in such manner as may be prescribed.

Staff of the Board

7. (1) The Board may with the approval of the State Government, create such posts of officers and employees of the Board and make appointments on such post in such manner as may be prescribed.

(2) The terms and conditions of service including salaries and allowances of

the staff appointed under sub-section (1) shall be such as may be laid down in the regulations.

(3) For the purposes of carrying out its functions under this Act, the Board may requisition the services of any officer or employee of a municipality.

(4) The staff referred to in sub-section (1) shall be under the administrative and disciplinary control of the Chairperson who shall be the appointing. authority thereof.

Organization

8. (1) The Board may be organized into three or more wings *viz* Administrative wing, Valuation wing and Research and Analysis activities wing and such other wings as may be needed.

(2) The Board may establish regional offices in the State with appropriate staff with the prior approval of the State Government.

(3) The Board may reorganize its wings and regional offices from time to time as required to implement the provisions of this Act.

Validation

9. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, no action of the Board shall be invalid or otherwise called in question merely on the ground of the existence of any vacancy or defects in the constitution of the Board.

CHAPTER-III

Powers, Functions and Procedures of the Board

10. The functions of the Board shall be –

Functions of the Board

(a) to review the fiscal strength of various municipalities and assess the efficiency of different sources of revenue so as to enhance it and also to create new such sources;

(b) to enumerate, or cause to enumerate, all properties in the municipalities in the State and develop a data-base;

(c) to review the property and water tax and other revenue resource systems and suggest suitable basis for valuation of properties and rates of tax and non tax items of municipalities;

(d) to design and formulate transparent procedure for valuation of properties, inspection for their verification in municipalities;

(e) to undertake valuation or cause valuation of all properties in the Municipalities in the State including central, state or local body properties and exempted properties;

(f) to recommend modalities for periodic revision;

(g) to adjudicate property tax disputes;

(h) to ensure transparency in valuation process and facilitate disclosure of valuations for fair comparison;

(i) to publish the annual work plan in the official Gazette of the State Government;

(j) to give such advice on valuation of properties and enhancement of Municipal Revenue to Municipalities, as the State Government may, from time to time, require it to do or on the request of Municipalities by means of resolution;

(k) to discharge such other functions in the field of user charges, resource generation and valuation therefore including development of expertise in valuation of land and building, as the State Government may, from time to time, require it to do or on the request of municipalities by means of resolution.

Proceedings of the Board

11. The Board shall meet at such time and place within the State as the Chairperson may think fit and shall regulate its own procedure consistent with regulations that may be framed in this behalf.

Responsibility of Municipality

12. (1) When called upon, by the Board, to furnish any information, return, particulars, records, documents or registers or any other material, the municipality shall furnish the same with in the time specified in this regard.

(2) When called upon by the Board, a municipality shall fully cooperate with and assist the Board to perform its functions.

(3) Where a municipality fails, for whatever reason, to comply with any direction under sub-section (1) or sub-section (2) the Board may issue a show cause notice to the municipality for withholding, for a period not exceeding two years, a part of the financial transfers, not exceeding thirty per cent of its annual value during the preceding financial year, to be devolved by the State Government to that municipality. If the municipality still fails to comply with or fails to furnish, a satisfactory guarantee in this regard, the Board may recommend such withholding to the State Government, where upon the State Government shall withhold such financial transfers for said period;

Provided that where the municipality, subsequently, complies with direction, the State Government shall release the financial transfers so withheld, on being satisfied with such compliance.

Obligation to file statement and disclose liability

13. (1) Every owner or occupant of any land or building shall file a statement before the Board or any Person authorized by it in this behalf, in such manner and within such time, specifying such particulars, as may be prescribed.

(2) The Board may, by general or specific communication, call upon an inhabitant of a municipality to furnish such information and particulars as may be specified, in order to ascertain-

(a) whether such inhabitant is liable to pay a tax imposed or a charge or a fee under this Act or any Municipal Act or rules or regulations made thereunder;

(b) at what amount he should be assessed;

(c) the annual value of the building or land which he occupied and the name and address of the owner;

(d) any other information that may be necessary for carrying out its functions, or levy of the tax, charge or fee.

Offences and Penalties

14 Any person who –

(i) fails to file the statement as required; or

(ii) fails to furnish the information and particulars called upon, shall be guilty of an offence and shall be punishable with fine which may extend to rupees ten thousand and when the offence is a continuing one, with a fine which may extend to rupees five hundred per day.

Composition of offences

15 (1) The Board may accept from a person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence under this Act, a sum of money not exceeding twenty thousand by way of composition fee and compound the offence.

(2) On the composition of any offence, no proceedings shall be taken or continued against the person in respect of such offence, and if any proceeding in respect of that offence have already been inhibited against him, the composition shall have the effect of his acquittal.

Cognizance of offences

16. No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing of an officer authorized in this behalf by the Board.

Determination of valuation and its duration

17. (1) The State Government shall, from time to time, by notification, specify the municipality where the general valuation of lands and buildings shall be made by the Board, in accordance with the provisions of Municipal Acts or any other law for the time being in force in such municipality, as the case may be, in so far as they relate to determination of annual valuation :

Provided that the Board may cause to be made, subject to such conditions as may be prescribed, the general valuation of lands and buildings in the municipality, as aforesaid, under its superintendence, direction and control on payment of such remuneration as it may determine, and every such valuation shall be deemed to have been made by the Board.

(2) The valuation made by the Board shall become operative with effect from such date, as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and shall remain in force in respect of such area for a period of five years and be revised thereafter at the termination of successive period of five years :

Provided that the valuation of land or building in any municipality shall be made in accordance with the provisions of the Municipal Acts.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2) if, during the currency of any period referred to in sub-section (2) any new building is erected, or any existing building is reconstructed or substantially altered or improved in any area of municipality, the determination of valuation of

such premises shall be subject to the same criteria as has been fixed by the Board for such premises, and its valuation shall be covered by such procedure as may be determined by the Board for its immediate valuation with prior mandatory filing of statement of particulars by the owner or occupier.

(4) The Municipality shall and within such time, as may be prescribed, send to the Board list of all new buildings erected and also all existing buildings reconstructed or substantially altered or improved within its jurisdiction.

(5) The mutation of properties shall be made by the municipality as per provisions of Municipal Acts, or rules made thereunder but the information of mutation with concerned record shall be given to the Board by the mutating officer within seven days of mutation.

Publication of proposed valuation list

18. (1) When the valuation of the land and buildings of any Municipality has been completed by the Board shall cause such valuation list and the amount of property tax or other taxes thereon to be entered in a list.

(2) The Board shall publish the proposed valuation list, prepared under sub-section (1) and shall specify a date within which an application for objection to the proposed valuation list may be filed.

(3) The objections may be filed in such manner as may be prescribed.

Hearing of objections on valuation

19. After the expiry of the date specified in sub-section (2) of section 18 and within such period thereafter as maybe prescribed, the objection of any entry in the proposed valuation list shall be determined after giving the applicant an opportunity of being heard, by such persons as may be authorized in this behalf.

Publication of final valuation list

20. When the objections, if any, have been disposed off under section 19, the Board shall prepare a final valuation list and shall give public notice of the place or places where such list may be inspected and the valuation together with the amount of property tax thereon as recorded in the final valuation list shall be conclusive and no objection shall be reheard.

Review of valuation

21. Notwithstanding anything contained in section 20, the Board may at any time on an application filed by an owner or occupier or by the municipality or *suo moto;* and after recording the reasons therefore, review any valuation made earlier.

Powers of the Board

22. The Board while performing its functions under this Act, shall have the powers of a civil court trying a suit in respect of the following matters –

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) requisitioning any public record or copy thereof;

(e) issuing commissions for inspection of premises and examination of witness and documents;

(f) such other matters as may be prescribed.

Powers to issue directions

23. The State Government may from time to time issue directions not inconsistent with this Act.

Power of entry and inspection into land or building

24. A person, authorized by the Board in this behalf, may enter into or upon a premises in such manner as may be prescribed, for carrying out the purposes of this Act.

Bar of jurisdiction

25. No order or proceeding made under this Act shall be appealable and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Board is empowered by or under this Act to decide.

CHAPTER-IV

Accounts, Audit and Report

Grants by the State Government to the Board

26. (1) The State, Government shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Board, by way of grants, such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

(2) The Board May spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1) and may also charge fee from municipalities and others towards expenditure of the Board.

Accounts and audit

27. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

(2) Review from sources other than grants under section 26 shall be regulated by regulations made in this behalf.

(3) The accounts of the Board shall be audited by the Accountant General, Uttar Pradesh, or any other officer authorized by him in this behalf at such intervals as may be specified by State Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Board to the Accountant General.

(4) Copies of annual statement of accounts of the Board together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government.

(5) A copy of the annual statement of accounts of the Board together with the audit report received by the State Government under sub-section (4) shall be laid before each House of the State Legislature.

Annual Report

28. (1) The Board shall prepare an Annual Report of its activities during the year, in such form as may be prescribed and copies thereof shall be forwarded to the State Government.

(2) The State Government, shall cause the annual report to be laid before each House of the State Legislature.

Recovery of amount due to the Board

29. (1) If the amount due to the Board from a municipality under sub-section (2) of section 26 is not paid within specified time, the Board may refer the matter to the State Government and the State Government may pay the amount to the Board and deduct or pay after deducting the same from any financial transfers payable by the State Government to the municipality.

(2) Without prejudice to sub-section (1), any amount payable to the Board, may, on a certificate of the Secretary of the Board, be recovered as arrears of land revenue.

Expenditure incurred on account of salaries and allowances including contingencies

30. The expenditure incurred by the Board, for meeting, the salaries and allowances, including contingencies, of the Chairperson, Members, Secretary, officers and employees serving under or for the Board shall be paid out of the grant to be provided by the State Government.

CH APTER-V

Miscellaneous

Delegation or Powers and Functions by Board

31. The Board may delegate any of its powers and functions including financial power, by a resolution adopted by it to the Chairperson, Member, Secretary or any officer of the Board except the powers under sections 7, 8 and 37.

Chairperson Members officers and employees to be Public Servants

32. The Chairperson, Member, Secretary and other officers and employees of the Board shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Protection of action taken in good faith

33. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance or the provisions of this Act or the rules or the regulation or the orders made thereunder.

Registration of Valuers and Surveyors

34. The Board may register a person as a valuer or surveyor subject to such qualification and terms and conditions, including charges; as maybe determined by regulations.

Service of notices etc.

35. All notices and processes required or sought to be issued to or served on the Board shall be served on the Secretary of the Board.

Power to make rules

36. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the forgoing powers the State Government may make rules relating to any matter not inconsistent with the provisions of this Act which is required to be or may be prescribed.

(3) All rules made by the State Government shall be published in the *Gazette*.

Power to make Regulations

37. (1) The Board may, with the prior approval of the State Government, make regulations, consistent with the provisions of this Act, and the rules made thereunder, for carrying out the purposes of this Act.

(2) The State Government may, in according such approval, make such additions, alterations and modifications therein as it thinks fit:

Provided that before making such additions, alterations or modifications the State Government shall give the Board an opportunity to express its views thereon within such period not exceeding two months as may be specified by the State Government.

(3) All regulations made by the Board and approved by the State Government shall be published in the *Gazette*.

Power to remove difficulties

38. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, by reasons of anything contained in this Act, or any other enactment for the time being in force, the State Government may, as the occasion requires, by order direct that this Act shall during a period not exceeding twelve months after the date of such order have effect subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or commission, as it may deem to be necessary and expedient :

Provided that no order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On the recommendations of the 13th Finance Commission of India it has been decided to make law to provide for establishment and incorporation of the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Resources consisting of the Chairperson, four other members and one ex-officio member. The main functions of the Board shall be,-

(a) to review the fiscal strength of various municipalities and assess the efficiency of different sources of revenue so as to enhance it and also to create new such sources ;

(b) to enumerate, or cause to enumerate, all properties in the municipalities in the State and develop a data base ;

(c) to review the property and water tax and other revenue resource, systems

and suggest suitable basis for valuation of properties and rates of tax and non-tax items of municipalities :

(d) to design and formulate transparent procedure for valuation of properties ;

(e) to adjudicate property tax disputes ;

(f) to ensure transparency in valuation process and facilitate disclosure of valuations for fair comparison.

The Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,
K.K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

क्रम–सं.–165 (घ–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस.एस.पी. / एल.–
डब्लू. / एन.पी.–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 17 अगस्त, 2016
श्रावण 26, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या 983 / नौ–9–2016–80ज–2011
लखनऊ, 17 अगस्त, 2016

अधिसूचना

पा.आ.–469

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2011) की धारा–36 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली 2016 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. (1) इस नियमावली में, जब तक कि विषय अथवा सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 से है;

(ख) 'नगर पालिका वित्तीय संसाधन' का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आरोपणीय नगरपालिका की सम्पत्तियों पर कर, शुल्क, प्रभार, किराया, क्षतिपूर्ति, दण्ड एवं अन्य प्राप्त धनराशियों से है;

(ग) 'सचिव' का तात्पर्य बोर्ड के सचिव से है, जो अधिनियम की धारा–5 की उपधारा–4 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया हो;

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

सचिव की नियुक्ति

3. (1) बोर्ड के अनुरोध पर सचिव की नियुक्ति, विशेष सचिव स्तर से अन्यून भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के ऐसे अधिकारियों जिन्हें नगर पालिका की कार्यप्रणाली और नगर पालिका वित्त एवं विधियों का अनुभव हो अथवा उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रियत प्रशासनिक (प्रवर) सेवा के ऐसे अधिकारी जिसे 25 वर्षो से अन्यून म्यूनिसपल काउंसिल (नगर पालिका परिषद) और नगर निगमों में कार्य करने का अनुभव हो और उसकी सेवा उत्कृष्ट रही हो, में से प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी।

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन व वित्त एवं विधियों में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो, में से बोर्ड किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(3) उप नियम (1) या उप नियम (2) के अधीन इस प्रकार नियुक्त सचिव पदधारण के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक की अवधि तक, जो भी पहले हो, पद धारित करेगा।

(4) सचिव की रिक्ति अथवा किसी भी परिस्थिति में अनुपस्थिति की दशा में बोर्ड का पदेन सदस्य या अन्य कोई सदस्य या अधिकारी सचिव का कार्य, जैसा कि बोर्ड उपयुक्त समझे, सम्पादित करेगा।

सचिव का हटाया जाना

4. (1) सचिव को बोर्ड द्वारा हटाया जा सकेगा और अपने विभाग अथवा नगर पालिका में प्रतिवेदित करने हेतु निदेशित किया जा सकेगा और ऐसा परिसिद्ध अवचार या दुर्व्यवहार के आधार पर या इस आधार पर हटाया जा सकेगा कि,

(क) वह शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य सम्पादित करने में अक्षम हो,

अथवा

(ख) उसने वित्तीय या अन्य हित धारण किये हों, जिससे सचिव का कार्य प्रभावित होता हो, अथवा

(ग) अपने पद का दुरूपयोग करके निष्पक्ष रूप से जनहित में कार्य करने की स्थिति में न रहा हो, या

(घ.) वह किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य हो या रहा हो अथवा उसने कोई पद धारित किया हो अथवा कर रहा हो, या

(ड.) वह लोक सभा का सदस्य या किसी राज्य विधायिका या किसी नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकारी या उसके निर्वाचन में प्रत्याशी हो, या

(च) अपने कर्तव्यों के पालन में दुर्व्यवहार का दोषी हो, पद का दुरूपयोग किया हो, बोर्ड की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई हो, बोर्ड निधि का दुरूपयोग या घोटाला किया हो, बोर्ड के हितों के प्रतिकूल कार्य किया हो और अधिनियम या उसके अधीन प्रख्यापित नियमों या विनियमों, प्राविधानों के विरूद्ध कार्य किया हो।

(2.) बोर्ड पदेन सदस्य सहित तीन अधिकारियों का जाँच दल गठित करेगा और उसे नोटिस द्वारा विहित समय में कारण बताने हेतु अपेक्षा करेगा कि क्यों न उसे उसके पद से हटा दिया जाय। जाँच दल की जाँच आख्या एवं सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा। बोर्ड कारणों को अभिलिखित करते हुये सचिव को उसके पद से हटा सकेगा यदि सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर हो तो वह अपने विभाग में अथवा नगर पालिका या प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो वह प्रतिवेदित करेगा।

अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्ते, वेतन और भत्ते

5. (1) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें राज्य सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष या सदस्य, पदेन सदस्य को छोडकर, वह वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगें जो उसे अन्तिम पद धारण के समय पर देय रहे होंगे। राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह ऐसी अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जो उसके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु बोर्ड द्वारा विचार कर निर्धारित किये गये हों।

सचिव और अन्य कार्मिकों के वेतन और भत्ते

6. (1) बोर्ड के कार्मिकों को वही वेतन और भत्ते आदि देय होगें जैसा कि राज्य सरकार के समान या समकक्ष स्तर के कार्मिकों को अनुमन्य होगा।

(2) सचिव और अन्य कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किये गये हों, को राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी सेवा शर्तों के अनुसार वेतन एवं भत्ते अनुमन्य होंगे।

(3) सेवा निवृत्ति के उपरान्त नियुक्त कार्मिकों का वेतन एवं भत्ते, उनके सेवा–निवृत्ति के समय अन्तिम वेतन भुगतान में से पेन्शन जिसमें नकदीकरण (कम्यूटेशन) शामिल होगा, को घटाते हुये, वेतन के रूप में देय होगा।

(4) कार्मिकों के सेवायोजन की अन्य शर्तें जिसमें मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते यथा यातायात, चिकित्सा, यात्रा भत्ता अवकाश, पेंशन और भविष्य निधि और पेंशन अनुदान, सामूहिक बीमा या अन्य निधि, यदि कोई हों, वही होंगे जैसा कि सम्बन्धित विभाग या नगर पालिका प्राधिकरण और राज्य सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार होंगे।

(5) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बोर्ड अपने कार्मिकों की आवश्यकता और दिये गये कार्यो के सम्पादन के अनुसार अतिरिक्त सुविधाये जैसे भत्ते, मानदेय आदि, बोर्ड जैसा उचित समझे, स्वीकृत कर सकता है।

सचिव की शक्तियों और कर्तव्य

7. (1) बोर्ड के अध्यक्ष के नियंत्रण में रहते हुये सचिव राज्य सरकार के कार्यालयाध्यक्ष की भाँति कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा और वह उन शक्तियों का भी प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रदत्त किया जाय।

(2) सचिव, बोर्ड की सम्पत्तियों, अभिलेखों एवं सूचनाओं का अभिरक्षक होगा।

(3) सचिव बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, कार्मिकों अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर, फोटोग्राफ, आवासीय एवं डाक पत्राचार पता, ई–मेल पता, दूरभाष संख्या तथा अन्य आवश्यक सूचनायें अद्यावधिक रूप से रखेगा और समय–समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) बोर्ड की ओर से पत्राचार सचिव के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(5) सभी सूचनायें और आवश्यक अपेक्षित प्रक्रियायें सचिव द्वारा निर्गत या प्राप्त की जायेंगी।

(6) अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यों के सम्पादन में सभी नोटिस, समन और अन्य सम्बन्धित पत्राचार सचिव द्वारा किया जायेगा।

(7) अध्यक्ष के दिशा–निर्देशों और अधिनियम की धारा 37 के प्राविधानों के अनुसार विनियम और सम्बन्धित सामग्री का आलेख सचिव द्वारा तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) सचिव नियम 18 एवं 19 के अधीन प्रतिनिधानित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

पद एवं गोपनीयता की शपथ

8 (1) अध्यक्ष या सदस्य बोर्ड में पद धारण से पूर्व संविधान के प्रति निम्नलिखित प्रारूप में राज्यपाल अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगाः–

'मैं.....उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नामित, ईश्वर को साक्षी मानते हुये/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखूँगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हो, अपनी नियुक्ति के तीन माह में उप नियम (1) के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ले पाता है तो वह पद धारित नहीं करेगा और वह पद रिक्त माना जायेगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति का पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण किया

जाना अपरिहार्य हो तो वह बोर्ड की बैठक में तब तक पद धारित या प्रतिभाग नहीं करेगा जब तक कि वह उप नियम (1) में निर्धारित शपथ ग्रहण नहीं कर लेगा।

बोर्ड द्वारा सृजित पदों पर नियुक्ति की रीति

9 (1) बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के विभाग के कार्मिकों, नगर पालिकाओं व अन्य स्थानीय प्राधिकारियों या अन्य शासकीय संगठनों के कार्मिकों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्तियाँ की जायेंगी।

(2) यदि अनुभवी, अर्ह कार्मिक प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं तो बोर्ड कार्मिकों की सीधी भर्ती से नियुक्तियाँ कर सकेगा।

(3) बोर्ड के अधिकारियों एवं कार्मिकों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुति पर बोर्ड द्वारा की जायेगी। चयन समिति में निदेशक, स्थानीय निकाय, पदेन सदस्य के रूप में तथा अन्य सदस्य जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

अर्हता

10 (1) इन नियमों के अधीन किसी भी पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की वही अर्हता होगी जो समान या समकक्ष पद के लिये राज्य सरकार में होगी और यदि राज्य सरकार में समकक्ष पद, अर्हता न हो तो बोर्ड द्वारा अर्हता निर्धारित की जायेगी।

(2) सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आरक्षण

11 इन नियमों के अधीन पदों में आरक्षण राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्राविधान चयन के समय लागू होंगे।

सम्पत्तियों के विवरण का प्रकटीकरण

12 अधिनियम की धारा 13 के अधीन भूमि या भवनों के विवरण का प्रकटीकरण नियमावली से संलग्न प्रारूप 'क' पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार प्रारूप का संशोधन बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा

अपराधों का शमन

13 (1) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन अपराध कारित करता है या अपराध कारित होने में संदिग्ध/संलिप्त पाया जाता है तो अधिनियम के अधीन किसी अपराध का शमन बोर्ड की ओर से सचिव द्वारा किया जा सकता है। सचिव के निर्देशों एवं नियत रीति से अपराधी को शमन शुल्क की धनराशि, जो अधिकतम रू0 20,000/– (बीस हजार) तक हो सकती है, जमा करना होगा।

(2) बोर्ड की ओर से धनराशि यथा शमन शुल्क, अन्य शुल्क प्रभार और अनुदान सचिव द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।

प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का प्रकाशन और आपत्तियाँ प्राप्त किया जाना

14 (1) बोर्ड द्वारा किसी नगरपालिका की भूमि और भवनों का पूर्ण या आंशिक रूप से मूल्यांकन पूर्ण कर लेने पर दो दैनिक समाचार पत्र, जिसके प्रचुर भाग में प्रचालन हो में स्थान, समय की सूचना प्रकाशित करायेगी, जिसकी मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा और नियमावली से संलग्न फार्म 'ख' पर आपत्तियाँ आमंत्रित करेगी।

(2) समाचार पत्र में भूमि और भवन के मूल्यांकन के अन्तिम प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर सम्बन्धित आपत्तियाँ बोर्ड के सचिव को प्रेषित की जा सकेगी।

भूमि और भवन में प्रवेश और उसके निरीक्षण की शक्ति

15 बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बोर्ड के अधिकारियों या कार्मिकों को बोर्ड की ओर से भूमि या भवन के मूल्यांकन विनिश्चित करने हेतु नगर पालिका अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार भूमि, भवनों में प्रवेश कर सकते हैं।

मूल्यांकन का अवधारण और भूमि भवन के मूल्यांकन की समीक्षा

16 (1) सम्पत्ति कर विवादों को बोर्ड स्वतः अथवा सम्पत्ति कर मूल्यांकन सम्बन्धी परिवाद/सूचना की समुचित जॉच के उपरान्त संज्ञान ले सकता है।

(2) भूमि या भवन के अध्यासी या स्वामी, के प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नगत सम्पत्ति पर नगरपालिका विधियों के अनुसार देय धनराशि संलग्न की जायेगी।

(3) बोर्ड अधिनियम की धारा 21 के अधीन उन सम्पत्तियों के मूल्यांकन पर पुनर्विचार हेतु प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं करेगी जिनके मूल्यांकन प्रकरण नगरपालिका अधिनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष विचार हेतु लम्बित होगे।

(4) उपर्युक्त उपनियम के अन्तर्गत यदि प्रश्नगत सम्पत्ति पर देयों को नगर पालिका कार्यालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अदा नहीं किया जाता है तो प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (छ) और धारा 21 तथा उपर्युक्त उप नियम के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र को विचार करने हेतु स्वीकार करने से पूर्व बोर्ड, डाक खर्च सहित शुल्क एवं कार्यवाही सम्बन्धी अन्य खर्च प्रभारित कर सकता है।

(6) शुल्क, डाक खर्च तथा कार्यवाही के अन्य खर्चे जिसमें भौतिक निरीक्षण भी शामिल है, अध्यक्ष द्वारा समय समय पर प्रकरणवार निर्धारित किया जायेगा।

(7) सम्बन्धित सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना बोर्ड किसी विवाद को निर्णीत नहीं करेगा।

नगर पालिकाओं पर बोर्ड के व्यय प्रभारित करना

17 (1) नगर पालिका या नगर पालिकाओं या उसके किसी भाग के भूमि, भवन का सामान्य मूल्यांकन या विशिष्ट मूल्यांकन नगर पालिका अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित करने हेतु पारिश्रमिक भुगतान निर्धारित कर अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करती है तो सामान्य या विशिष्ट मूल्यांकन क्रियाकलाप में बोर्ड के व्यय को निर्धारित कर नगर पालिकाओं पर प्रभारित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के अधीन क्रियाकलापों तथा अधिनियम की धारा 10 के अधीन नगर पालिकाओं द्वारा अपेक्षित सेवा एवं परामर्श हेतु बोर्ड शुल्क निर्धारित और प्रभारित कर सकेगा।

भुगतान की रीति

18 (1) 2000/– तक के लघु भुगतानों को छोडकर बोर्ड के पक्ष में रेखांकित चेक, जिस पर

लेखाधिकारी या लेखा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी और सचिव या अध्यक्ष स्वयं या चेक निर्गत करने हेतु कोई अधिकृत अधिकारी या सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।

(2) अध्यक्ष की स्वीकृति से, सचिव, अधिकतम सीमा दस हजार रूपये तक का स्थाई अग्रिम कार्यालय के लघु खर्चों, यदि कोई हो, हेतु रख सकेगा।

(3) सचिव को अग्रिम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि पूर्व के अग्रिम का समायोजन अध्यक्ष के अनुमोदन से न कर दिया गया हो।

बजट और वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाना

19 (1) बोर्ड, वार्षिक कार्ययोजना और अर्थसंकल्प आगामी वित्तीय वर्ष हेतु समय पर तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और यदि अपेक्षित हो तो उसे भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित करेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस के उपरान्त पूर्व वित्तीय वर्ष की बोर्ड की विस्तृत कार्ययोजना के साथ बोर्ड के आय एवं व्यय के लेनदेन का विवरण तैयार किया जायेगा तथा उसकी प्रतियाँ राज्य सरकार को गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जायेगी। प्रतिवेदन में बोर्ड द्वारा समय–समय पर नियत प्रारूप पर सूचनायें दी जायेगी। कार्य योजना की एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जायेंगी।

आज्ञा से,
श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

प्रारूप–क

(नियम–12 देखें)

भवन या भूमि का विवरण

जोन सं0 / नाम––––––
वार्ड सं0 / नाम–––––––
मोहल्ला सं0 / नाम––––
सीमा चिन्ह–––––––––

1. (1) स्वामी का नाम–
   (2) पिता / पति का नाम–
2. (1) अध्यासी का नाम–
   (2) पिता / पति का नाम–
3. भूमि या भवन की स्थिति–
4. भूमि या भवन का विवरण (ईकाई वर्ग फीट)
   (1) भूमि का क्षेत्रफल
   (2) भवन का आधारित क्षेत्रफल
   (3) भवन का कारपेट क्षेत्रफल
   (4) खुली भूमि का क्षेत्रफल (भवन के बाहर)
5. भवन की अवस्थिति –
   (1) 24 मीटर से अधिक चौडे सडक पर
   (2) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौडी सडक पर
   (3) 12 मीटर से कम चौडी सडक पर
6. भवन के निर्माण की प्रकृति–
   (1) पक्का भवन आर0सी0सी0 या आर0बी0 छत सहित
   (2) अर्द्ध पक्का भवन
   (3) कच्चा भवन
7. भूमि की अवस्थिति–
   (1) 4 मीटर से अधिक चौडे सडक पर
   (2) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौडी सडक पर
   (3) 12 मीटर से कम चौडी सडक पर
8. भवन मानचित्र (नक्शा) स्वीकृति का दिनांक
9. भवन निर्माण का वर्ष
10. भूमि / निर्मित भवन क्रय का वर्ष
11. उपयोग की प्रकृति–
    (क) आवासीय (स्वंय अध्यासित / किराये पर)
    (ख) अनावासीय (स्वयं अध्यासित / किराये पर)

सत्यापन

मैं यह घोषित करता हूँ कि इस प्रारूप पर दिये गये विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है।

(साक्षी के हस्ताक्षर)
पता–
टेलीफोन नं0 (यदि कोई हो)
मोबाइल नं0
ई–मेल पता–
दिनांकः

(स्वामी / अध्यासी के हस्ताक्षर)
पता–
टेलीफोन नं0 (यदि कोई हो)
मोबाइल नं0
ई–मेल पता–
दिनांकः

प्रारूप–ख

(नियम–14 देखें)

प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का प्रकाशन

संख्याः दिनांकः

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के भैगोलिक क्षेत्र में स्थित भूमि या भवनों का सम्पत्तिकर (सामान्य कर, जलकर, जल निकासीकर, स्वच्छताकर) निर्धारण पूरा कर लिया गया। मूल्यांकन सूची तथा सम्पत्तिकर व अन्य कर की धनराशि का सभी सम्बन्धित द्वारा नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कार्यालय अथवा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, लखनऊ कार्यालय में कार्य दिवसों में कार्यालय समय में आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने के आशय से निरीक्षण किया जा सकता है।

प्रस्तावित सूची के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियाँ या सुझाव हों तो उन्हें साक्ष्यों सहित बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित कर प्रेषित किये जा सकते हैं। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राप्त होंगी।

अध्यक्ष

उ.प्र. नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, लखनऊ

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.983/IX-9-2016-80 ja/2011. dated August 17, 2016.

No. 983/IX-9-2016-80 ja/2011

Lucknow: Dated: August 17, 2016

In exercise of the powers under section 36 of the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources Act, 2011(U.P. Act no. 11 of 2011) the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTAR PRADESH BOARD FOR DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FINANCIAL RESOURCES (REGULATION OF PROCEDURE AND EXECUTION OF ITS FUNCTIONS) RULES, 2016

Short title, extent and commencement

1 (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources (Regulation of Procedure and Execution of its Functions) Rules, 2016.

(2) They shall apply to whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2 (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context; Definitions

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources Act, 2011;

(b) Municipal Financial Resources" means the amount received on account of municipal properties taxes, fees, charges, rent, compensation, penalty and any other amount chargeable under provisions of Municipal Acts;

(c) "Secretary" means the Secretary of the Board appointed under sub-section (4) of Section-5 of the Act;

(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3 (1) On the request of the Board, the Secretary shall be appointed on deputation from amongst the officers of the Indian Administrative Service or State Civil Service (Executive Branch) having experience of Municipal working and Municipal Finances and laws and not below the rank of Special Secretary or an officer of the Uttar Pradesh Palika Centralized Administrative (Superior) service having the experience of not less than 25 years in Municipal Councils (Nagar Palika Parishad) and Municipal Corporations and must have excellent service record. Appointment of the Secretary

(2) Board may appoint a retired officer as secretary from amongst the officers mentioned in sub rule (1) having special knowledge and experience in Municipal Administration and Finances and Laws.

(3) The Secretary so appointed under sub rule (1) or sub rule (2) shall hold office for the period of five years from the date he enters upon his office and shall not hold the office after he has attained the age of 65 years which ever is earlier.

(4) In case of vacancy or in the absence of Secretary, in any circumstance, the ex-officio member or any other member or officer of the Board may act as secretary, as the Board may think fit.

4 (1) The secretary may be removed from his office by the Board and may be directed to report in his department or on Municipality, on the grounds of proven misconduct or misbehaviour or on the grounds that he; Removal of the Secretary

(a) has become physically or mentally incapable of acting, or

(b) has acquired such financial or other interest as is likely to effect his function as the secretary, or

(c) has so abused his position as to render his continuance in the office prejudicial to the public interest, or

(d) is or has been an active member of a political party or has held or holds a post therein, or

(e) is a member of parliament or any State Legislature or any Municipality or Local Authority or is a candidate for election thereto, or

(f) has been guilty of misconduct in discharging his duties, flagrantly abuse his position, cause loss or damage of Board's property, misappropriated or misused the board's fund, acted against the interest of the board and contravened the provisions of the Act and rules or regulations made thereunder.

(2) The Board shall constitute a panel of three enquiry officers including ex-officio member and it may call upon him to show cause within the time to be specified in the notice why he should not be removed from the office. The board after considering the enquiry report of the panel and the explanation filed by the secretary, shall take appropriate decision. The Board may for reasons to be recorded in writing remove the Secretary from his office or direct the officer, if appointment is made on deputation, to report in his department or in Municipality or in authority concerned as the case may be.

Terms and conditions of service, salaries and allowances of the Chairperson and the Member

(5) (1) The salary, allowance and other conditions of service of Chairperson and the members shall be fixed by order of the State Government.

(2) The Chairperson or a member other than *ex-officio* member shall be entitled for such salary and allowances as was admissible to him/her on the post last held by him/her. He/she shall be allowed such other facilities as may be considered necessary by the Board for efficient discharge of their duties and responsibilities with the prior approval of the State Government.

Salary and allowances of the Secretary and other employees

6 (1) The salary and allowance of the employees of the Board shall be such as may be admissible to the identical or equivalent rank employees of the State Government.

(2) The Secretary and other employees if appointed on deputation shall receive salary and allowances as per terms and conditions of the State Government in regard to services on deputation.

(3) The salary and allowances of the employee's appointed after retirement, shall draw as pay last pay drawn by them at the time of retirement minus pension including commutation.

(4) The other terms and conditions of employment including dearness and other allowances, transport, medical, travelling allowance, leave, pension and contribution to provident and Pension Funds and contribution of group insurance or other funds, if any, shall be in accordance with the service condition of employees in department or Municipality or Authority concerned and State Government rules and orders.

(5) The Board may sanction more facilities or allowances, honorarium etc. to

the employees of the Board as per need and performance of the job given to them as the Board thinks fit with the prior approval of the State Government.

Powers and duties of the Secretary

7 (1) The Secretary shall, subject to the control of the Chairperson of the Board, discharge the duties and responsibilities as are applicable to the head of the office under the State Government and shall exercise such other powers and perform such duties as the Board may specify in this behalf.

(2) The Secretary shall be the custodian of the all properties, records and informations of the Board.

(3) The Secretary shall have complete updated record of specimen signature, photographs, residential and postal addresses, email address, phone numbers and other relevant information of the Chairperson, Members, Employees and Officer of the Board and shall put up before the Board from time to time.

(4) The correspondence on behalf of the Board shall be under the signature of the Secretary.

(5) All notices and processes required or sought to be issued to or to be served on the Board shall be received by the Secretary.

(6) While performing functions under section 22 of the Act by the Board all notices, summons and other related correspondence shall be done by the Secretary.

(7) The draft of Regulation and other related matter shall be prepared and put up before the Board by the Secretary as per directions of the Chairperson as per provisions of the regulations made under section 37 of the Act.

(8) The Secretary shall perform such duties as may be delegated to him under rule 18 and 19.

Oath of Allegiance and office

8 (1) The Chairperson or a Member of the Board before resuming his office shall take oath or affirmation of his allegiance to the Constitution in the following form before the Governor or any person nominated by him:-

'I……..having been appointed as Chairperson/Member of Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,(that I will uphold the sovereignty and integrity of India) that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will and that I will uphold the Constitution and the laws'.

(2) Any person who is appointed as the Chairperson or a member of the Board fails to make within three months from the date on which the appointment is done, the oath or affirmation laid down in and required to be taken under

sub-rule(1) shall cease to hold his office and his seat shall be deemed to have become vacant.

(3) Any person required to take oath or affirmation under sub-rule (1) shall not take his seat at the meeting of the Board or do any act as the Chairperson or a Member, as the case may be unless he has made an oath or affirmation as laid down in sub-rule(1).

Manner of Appointment to the post Created by the board

9 (1) Staff may be appointed by the Board on deputation from employees of State Government departments or from Municipality, other Local authority or other Government organizations;

(2) If the experienced and qualified employees are not available on deputation the Board may make direct recruitment of the employees;

(3) Appointment of the officers and the employees of the Board shall be made on the recommendations of selection committee to be constituted by the Board. The Selection Committee shall consist of the Director Local Body as ex-officio member and such other member as the Board may consider necessary.

Eligibility

10 (1) A candidate for direct recruitment to any post under these rules must posses the requisite qualification identical to equivalent posts under State Government and in case there is no equivalent post, qualification shall be as the Board may determine;

(2) The age of a candidate for direct recruitment shall not be less than 21 years and more than 40 years.

Reservation

11 Reservation on the posts under these rules shall be made in accordance with the orders of the State Government. In this respect provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Schedule Casts, Schedule Tribes and Other Backward Classes) Act 1994 as in force at the time of recruitment shall be applicable.

Obligation to file statement and to disclose liability

12 The statement of land or building under section 13 of the Act shall be filed in Form *A* appended to these rules. The Form may be amended by the Board as required.

Composition of offence

13 (1) An offence under the Act may be compounded by the Secretary on behalf of the Board, if it is found that a person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence under the Act. A sum of money not exceeding Rs.20,000(twenty thousand) will be deposited by offender by way of composition fee in such manner as may be directed by the secretary.

(2) The Secretary shall receive all money such as compounding fee, other fee, charges and grants on behalf of the Board.

Publication of proposed Valuation list and receipt of objections

14 (1) The Board after completing the valuation of the land and buildings of any Municipality whole or part thereof shall publish in two daily news papers having circulation in such area, wide mentioning the place and time when the inspection of such valuation list may be made for inviting objections in Form-B appended to these rules.

(2) Objections may be sent in writing addressed to the Secretary of the Board within a period of 30 days from the date of publication of valuation of land and buildings lastly published in the news paper.

Power of entry and Inspection into land and building

15 Officers or employees of the Board authorized by the Chairperson on behalf of the Board, may for the purposes of the Act, in particular for ascertaining the valuation of the land and building enter into or upon a premises in such manner as per provision of the Municipal Act.

Determination of Valuation and Review of valuation of land and building

16 (1) The Board may also take cognizance of property tax disputes suo motto or on complaint/information received regarding property tax assessment after due inquiry.

(2) The application filed by occupier or owner of land or building shall be accompanied with deposit of Municipal dues regarding property in question under existing Municipal laws.

(3) The Board shall not consider any application for review the valuation of such property under section 21 of the Act, if the matter of valuation of property or assessment is pending before the competent authority under Municipal Act.

(4) No application under above sub- rules shall be considered for acceptance of hearing if the dues of Municipality regarding property in question is not deposited in the office of the Municipality before presenting the application.

(5) The Board may charge the fee along with postal and other expenses of proceedings before accepting the application for consideration under clause (g) of section 10 and section 21 of the Act and above sub rules.

(6) The amount of fee, postal and other expenses of the proceeding, which may include the physical inspection of property in question, shall be fixed by the Board by Chairperson from time to time and case to case.

(7) The Board shall not decide any such dispute without giving proper opportunity to all concerned parties to present their case.

Charging fee from Municipalities towards exoenditure of the Board

17 (1) Under Section 17 of the Act, the State Government shall from time to time by notification specify the Municipality or Municipalities or their part for general valuation or specific valuation of land and buildings to be made by the Board in accordance with the provisions of Municipal Acts on payment of such remuneration as it may determine and may also charge fee from

Municipalities towards the expenditure of the Board on activities related to general or specific valuation.

(2) The Board may fix charges for rendering the activity under sub rule (1) and may fix and charge fee for rendering every advice or any service required by the municipality under section 10 of the Act. Mode of payment

18 (1) Except petty payments up to rupees two thousand all disbursements on behalf of the Board shall be made only by crossed cheque with the signatures of Accounts officer or the senior most officer of accounts and the Secretary or Chairperson himself or he may authorize any other officer or Member to issue cheque under his signature.

(2) The Secretary may have permanent advance within maximum limit of rupees ten thousand for the petty cash expenditure of the office if any, by the sanction of the Chairperson.

(3) No advance shall be given to Secretary, if the previous advance is not adjusted and approved by Chairperson.

19 (1) The Board shall prepare an annual work plan and budget for the ensuing financial year in due time and submit the same to the State Government and if required to the Government of India for information. Preparation of budget and Annual work plan

(2) The Board shall as soon as may after the first day of April in each year, shall prepare a detailed work plan of the Board for the previous financial year together with a statement showing the accounts of the receipts and expenditure credited and debited to the Board during the said year and copies thereof shall be forwarded to the State Government for publication in the Gazette.The report shall be in such prescribe Form and contain such information as the Board may decide from time to time. A copy of the work plan will be sent to Director Local Bodies Uttar Pradesh.

By order,
SHREEPRAKASH SINGH,
Sachiv

FORM A

(See rule 12)

Statement of Land or Building

Zone No. /Name____
Ward No./Name ____
Mohalla No./Name ____
Land Mark ____

1. (i) Name of owner-
   (ii) Father/Husband's Name-
2. (i) Name of Occupier
   (ii) Father/Husband's Name-
3. Location of the Land or Building-
4. Detail of land or building - (unit squire feet)
   (i) Area of land
   (ii) Covered area of the building
   (iii) Carpet area of the building
   (iv) Area of open land (out side of the building)
5. Building is located-
   (i) On road having a width of more than 24 meters-
   (ii) On road having a width of 12 mtrs. to 24 mtrs.
   (iii) On road having a width less than 12 meters-
6. Nature of the construction of Building-
   (i) Pacca Building with RCC or RB roof.
   (ii) Semi Pacca building
   (iii) Kachcha Building
7. Land is located-
   (i) On road having a width of more than 24 meters.
   (ii) On road having a width of 12 meters to 24 meters.
   (iii) On road having a width less than 12 meters.
8. Date of the Building plan (Map) approval_____
9. Year of the construction of building-
10. Year of the purchase of land/Constructed House-
11. Nature of use
    (a) residential (Self Occupied/On rent)
    (b) Non residential (Self Occupied/On rent)

VERIFICATION

I do hereby declare that the particulars furnished in this form are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

(Signature of the witness)
Address
Telephone No. (if any)-
Mobile No.-
E-mail address-
Date…….

(Signature of the owner/occuier)
Address
Telephone no. (if any)
Mobile no.
E-mail address-
Date…….

FORM B

(See rule-14)

Publication of proposed valuation list

No…….. Date……

The valuation of the land or buildings situated within the territorial area of the……Municipal Corporation/Nagar Nigam/Nagar Palika Parishad/Nagar Panchayat for the purposes of the assessment of property tax (general tax, water tax, drainage tax, conservancy tax) has been completed by the Uttar Pradesh Board for Development of Municipal Financial Resources. Such valuation list and amount of property Tax/other Taxes thereon may be inspected by all concerned at the office of the…….Municipal Corporation/Nagar Nigam/Nagar Palika Parishad/Nagar Panchayat or office of the Uttar Pradesh Board for Development of Municiipal Resources, Lucknow during office hours of any working day with a view to inviting objections and suggestions in respect there of.

Objections and suggestions, if any, with respect to the proposed list should be sent in writing addressed to the Chairperson of the Board, Lucknow along with evidences. Only such objections will be considered as are received within 30 days from the date of its publication.

Chairperson,
The Uttar Pradesh Board for Development of
Municipal Resources,
Lucknow.